छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा षोडश सत्र अंक-02

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 02 मार्च, 2023

(फाल्गुन 11, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने श्री पुनीत राम साहू, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री राधेश्याम शर्मा, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष, सदस्य श्री शिवरतन शर्मा, ने भी शोकोद्गार व्यक्त किये ।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवारों के लिये संवेदना प्रकट की गई ।

(दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.14 बजे स्थगित की जाकर 11.36 बजे समवेत हुई।)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

2. बधाई

उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के बाद पहली बार आसंदी पर विराजमान होने पर श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष, सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, सदस्य ने बधाई एवं शुभकामनाएं दीं ।

3. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 03, 04, 05 (कुल 04) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न संख्या 2 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री दलेश्वर साहू अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 25 तारांकित एवं 51 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

4. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 05 पर चर्चा के दौरान श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुये सदन से बहिर्गमन किया गया ।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002) की धारा 11 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक आयोग का बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022,

(2) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 78 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22,

(3) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 42 के अधीन अधिसूचित छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005 के नियम 22 एवं नियम 23 के उपनियम (घ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2021-22,

(4) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) की धारा 31 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून,2022 तक), तथा

(5) श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ने छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम,1999 (क्रमांक 12 सन् 1999) की धारा 11 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-03/सात-1/2022, दिनांक 24 नवम्बर, 2022

पटल पर रखे।

6. दिसम्बर, 2022- जनवरी, 2023 सत्र के समय पूर्व सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि की मुद्रित प्रश्नोत्तरी का पटल पर रखा जाना

माननीय उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-क की अपेक्षानुसार दिसम्बर, 2022-जनवरी, 2023 सत्र का दिनांक 04 जनवरी, 2023 को समय पूर्व सत्रावसान हो जाने के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 05 एवं 06 जनवरी, 2023 की मुद्रित प्रश्नोत्तरी सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखी गयी।

7. दिसम्बर, 2022-जनवरी, 2023 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

माननीय उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार दिसम्बर, 2022- जनवरी, 2023 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

8. नियम 267-क के अधीन दिसम्बर, 2022- जनवरी, 2023 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267-क के अधीन दिसम्बर, 2022 - जनवरी, 2023 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन सचिव, विधानसभा द्वारा पटल पर रखा गया।

9. राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार सचिव, विधान सभा द्वारा पंचम विधान सभा के दिसम्बर, 2021 सत्र में पारित कुल 5 विधेयकों में से शेष बचे 1 विधेयक पर माननीय राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयक के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

10.सभापति तालिका की घोषणा

माननीय उपाध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री सत्यनारायण शर्मा

(2) श्री धनेन्द्र साहू

(3) श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह

(4) श्री सौरभ सिंह

(5) श्री बघेल लखेश्वर

11. पृच्छा

सर्वश्री शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों में धर्मान्तरण एवं हत्या की घटनाएं घटित होने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई ।

(लगातार व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.12 बजे स्थगित की जाकर 12.28 बजे समवेत हुई।)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

पुन: श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की।

(लगातार व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.37 बजे स्थगित की जाकर 12.47 बजे समवेत हुई।)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

12. पृच्छा

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, बृजमोहन अग्रवाल एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा पुन: स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग गई ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य द्वारा शून्यकाल में मंत्री के खड़े होने पर आपत्ति ली गई।

माननीय उपाध्यक्ष ने कथन किया कि आप दोनो पक्ष सहयोग करेंगे तभी सभा की कार्यवाही चलेगी । हमको प्रतिपक्ष को सुनना है, उनको बोलने दीजिए यदि दोनों पक्ष सहयोग नहीं करेंगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा ।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गए ।)

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की निरंतर मांग की गई।)

माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि यह बजट सत्र है । सामान्यत: बजट सत्र में माननीय सदस्यों को विभिन्न माध्यमों से अपनी बात कहने का अनेक अवसर प्राप्त होते रहते हैं । बजट सत्र में सामान्यत: स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की जाती है । आज अनुपूरक अनुमान पर चर्चा होगी। माननीय सदस्यों को विभागवार चर्चा में अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। माननीय श्री नारायण चंदेल एवं श्री सौरभ सिंह, सदस्य द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव को मैंने अग्राह्य कर दिया है । अब मैं ध्यानाकर्षण सूचना लूंगा ।

(प्रतिपक्ष के सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में आए।)

13. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

श्री धरमलाल कौशिक, डॉ.रमन सिंह, सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, ननकीराम कंवर, पुन्नूलाल मोहले, अजय चन्द्राकर, नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सर्वश्री सौरभ सिंह, डमरूधर पुजारी, रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्री प्रमोद कुमार शर्मा ।

(लगातार व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.54 बजे स्थगित की जाकर 1.12 बजे समवेत हुई।)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

14. निलंबन अवधि की समाप्ति

माननीय उपाध्यक्ष ने नियम 250 (1) के अंतर्गत निलंबित सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की ।

श्री शिवरतन शर्मा,सदस्य ने पुनः स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की ।

15. ध्यानाकर्षण

(1) श्री कुलदीप जुनेजा, सदस्य ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा चयनित एजेंसियों द्वारा स्वामी आत्मानंद विद्यालय के तहत् चयनित विद्यालयों के जीर्णोद्धार कार्य में विलंब किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में रहते हुए नारे लगाये गये ।)

16. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

श्री धरमलाल कौशिक, डॉ.रमन सिंह, सर्वश्री नारायण चंदेल, ननकीराम कंवर, पुन्नूलाल मोहले, शिवरतन शर्मा, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सर्वश्री सौरभ सिंह, डमरूधर पुजारी, रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्री प्रमोद कुमार शर्मा ।

उपरोक्त सदस्यों के अतिरिक्त श्री बृजमोहन अग्रवाल एवं श्री अजय चन्द्राकर सदस्य कुछ समय पश्चात् गृर्भगृह में प्रवेश किये । अतः वे भी स्वमेव निलंबित हो गये।

17. ध्यानाकर्षण (क्रमशः)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री नारायण चंदेल, सदस्य की सूचना प्रस्तुत नहीं हुई।

18. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष की घोषणानुसार श्री कुलदीप जुनेजा, सदस्य की नियम 267-क की सूचना पढ़ी हुई मानी गई।

19. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

श्री धनेन्द्र साहू, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 03 मार्च, 2023 को चर्चा के लिए आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय विधेयक तथा अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय विधेयक क्र.	**सदस्य का नाम**	**समय**
(क्रमांक-10 सन् 2021)	श्री सत्यनारायण शर्मा	1 घण्टा 30 मिनट
अशासकीय संकल्प क्र.	**सदस्य का नाम**	**समय**
(क्रमांक - 04)	डॉ. विनय जायसवाल	20 मिनट
(क्रमांक - 05)	श्री धर्मजीत सिंह	20 मिनट
(क्रमांक - 01)	श्री नारायण चंदेल	20 मिनट

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

20. वित्तीय वर्ष 2022-23 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरा अनुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है । अतः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें ।

(सदन द्वारा सहमति दी गई)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि:-

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या –1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 37, 39, 41, 42,

43, 44, 47, 51, 55, 56, 64, 66, 69, 71, 76, 79 एवं 81 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर चार हजार एक सौ तिरालीस करोड़, साठ लाख, इकहत्तर हजार, छः सौ बावन रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री देवेन्द्र यादव, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की ।)

(माननीय उपाध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से निलंबित होने के कारण सभावेश्म से बाहर जाने का निर्देश दिया।)

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री शैलेष पाण्डेय, प्रकाश शक्राजीत नायक,

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में बैठकर नारे लगाये गए ।)

माननीय उपाध्यक्ष ने कथन किया कि हमारे इस पवित्र सदन में गरिमामयी परंपरा रही है कि सभा से निलंबित होने पर नियम 250 (1) का पालन कर सभा से बाहर चले जाते हैं। उन्होंने प्रतिपक्ष से आग्रह किया कि कृपया निलंबित होने के बाद भी गर्भगृह में रहकर इस गरिमामयी परंपरा को, सभा की कार्यवाही को बाधित न करें । निलंबन अवधि समाप्त होने के पश्चात कार्यवाही में भाग लें ।

निलंबित सदस्य कृपया सभा से बाहर चले जायें ।

21. वित्तीय वर्ष 2022-23 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमश:)

डॉ.लक्ष्मी ध्रुव, श्रीमती संगीता सिन्हा

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

22. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -1) विधेयक, 2023 (क्रमांक 3 सन् 2023)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -1) विधेयक, 2023 (क्रमांक 3 सन् 2023) का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -1) विधेयक, 2023 (क्रमांक 3 सन् 2023) पर विचार किया जाये।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2023 (क्रमांक 3 सन् 2023) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

23. निलंबन अवधि की समाप्ति

माननीय अध्यक्ष ने नियम 250 (1) के अंतर्गत निलंबित सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की ।

अपराह्न 2.50 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 03 मार्च, 2023 (फाल्गुन 12, शक संवत् 1944) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा